





फर्द अहकाम

गिरधारी बनाम विनोद वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

मुकदमा नम्बर193...../2025 दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

GCMS NO: 2025/482

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
03.12.2025	<p>वादी की ओर से यह वादपत्र जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश शर्मा, लोकेश व बी.एल. के द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होकर पत्रावली वास्ते तल्बी हेतु दिनांक 23.01.2026 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़) </p>	
28.1.26	<p>वकुलाये फरीकन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 11.2.26 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
11.2.26	<p>वकुलाये फरीकन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 16.2.26 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
16 ⁰² / ₂₆	<p>पत्रावली पेश की गयी थी कोर्ट ने उसे उपस्थित नहीं। आपात्प स्तप से ड्रैलम वा- वाट श्रावाण लम्बवैठि के वाडभा वाडी की कोर्ट ने उसे उपस्थित नहीं ताते के कारण वाडी का वाडपा भदम हजरी एवं भदम पंस्की मे खरारिज किफा जाला है। पत्रावली के सप धुमार केमट फुज गान्ट से कम से वाड उपस्थित उपर है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़) </p>	